न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2018/00404 (284/2018) 223 आरटीएक्ट

मनोज कंवर पत्नी पप्पूसिह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. बजरंग सिंह पुत्र श्योदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट

2. मधी पुत्री सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. इन्द्राज सिंह
4. शायर सिंह
5. महेन्द्र सिंह

} पि0 श्योदान सिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर।

6. भंवर सिंह
7. विजय सिंह
8. सुनिता कंवर

} पि0 पप्पू सिंह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर।

9. संजना कंवर पत्नी सांवत सिह जाति राजपूत निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर प्र. सं. 51/2016 बनवानी बजरंग सिंह बनाम सरकार

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री हवासिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 2 ता 5
श्री मांगीराम अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 6 ता 8
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्त रेस्पोडेण्ट सं0 10

निर्णय दिनांक –22.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 बजरंग सिंह ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक अर्जीदावा पेश किया। अर्जीदावा में कथन किया कि तहसील नोहर के खाता सं0 566/563 की 15 बीघा भूमि हरिसिंह के नाम थी। उसके कोई पुत्र नहीं था, बजरंग सिंह उसकी सेवा करता था इसलिए हरिसिंह ने प्रश्नगत भूमि बजरंगसिह के नाम वसीयत करवाई थी। बजरंग सिह ने 5 बीघा अपने जीवन काल में बैय कर दी और शेष बची 10 बीघा भूमि का वह खातेदार काश्तकार है। अतः खाता संख्या 743/665 ख. नं. 1072 की कुल 10.117 है. भूमि में संयुक्त तौर से वादी 200 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी मुताबिक वसीयत हक व हिस्से की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

घोषणा करवाने का हकदार है। प्रार्थी ने रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं0 743/665 के ख. नं. 1072 की कुल 10.1170 है. भूमि में संयुक्त तौर से वादी 200 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं इसी अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज करने एवं हरिसिंह का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों के साथ यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे। अपीलाधीन भूमि सांवतसिंह की थी जो कि हरिसिंह के पिता थे उनकी अर्जित भूमि थी। हरिसिंह अकेले की स्वअर्जित भूमि नहीं थी। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का बाई बर्थ राईट था। अकेले रेस्पो0 ने अपने नाम तथा कथित फर्जी वसीयत से समस्त तथ्यों को छुपाते हुए वाद भूमि का निर्णय व डिक्री गलत तौर से करवाई है। वाद भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ता 8 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। सांवतसिंह के तीन सन्तानें हरिसिंह, श्योदान सिह व मघी उत्पन्न हुए जिनमें श्योदान सिह व उनकी पत्नी गीता देवी फौत हो चुकी है तथा हरिसिंह लावल्द फौत हो चुका है तथा मघी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मौजूद है इसलिए हरिसिंह की भूमि में श्योदानसिह का 1/3 हिस्सा, मघी का 1/3 हिस्सा व सजना का 1/3 हिस्सा ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार हैं। परिवार के सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाते हुए एक तरफा तौर से बिना किसी सूचना के व नोटिस के बिना पक्षकार बनाये अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट को उसके हक व हिस्से से महरूम करते हुए कतई गलत तौर से करवाया गया है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। पक्षकार नहीं होने के अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरएलडबल्यू पेज 288, 2016–17 आरआरटी पेज 566, 2012 (1) आरआरटी पेज 137, 2016 आरबीजे पेज 679, 2011 आरबीजे पेज 791 एससी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि हरिसिंह लावल्द फौत हुआ था। हरिसिह ने अपने नाम दर्ज समस्त भूमि की वसीयत बजरंग सिंह के नाम कर दी वे हरिसिह के किसी भी श्रेणी के वारिस नहीं है। अन्य वारिसों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

ने सहमति दी है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मुताबिक वसीयत प्रश्नगत भूमि का हकदार खातेदार काश्तकार है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का हरिसिंह की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है विलम्ब का कोई उचित कारण बताया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 5 ने प्रश्नगत भूमि बजरंगसिंह पुत्र श्योदानसिंह के नाम दर्ज हो चुकी है उसी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाण्ट ने यह अपील लालचवश पेश की है, जिसका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 8 ने विधि सम्मत निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 10 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
9. प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी में आये तथ्यों के आधार पर तथा पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है
10. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।
11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने हरिसिंह के नाम दर्ज भूमि में वसयीत के आधार पर घोषणा का वाद पेश किया था जो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वारा 2016) कैम्प कोर्ट पाण्डूसर में डिक्री किया गया है। पत्रावली में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि सांवतसिंह की भूमि थी ओर सांवतसिंह के फौत होने पर इस भूमि में उसके सभी वारिसान का हक हिस्सा था। अपील में प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम कानसर तहसील नोहर संवत 2071–2074 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है जिसमें खाता संख्या 743/565 प. नं. 1072 की 10.1170 है. भूमि में कई खातेदार काश्तकार हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि थी। रेस्पोडेण्ट ने वसीयत के आधार पर प्रश्नतगत भूमि का स्वयं को हकदार खातेदार काश्तकार बताया है। उसके द्वारा कोई रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में केवल अपंजीकृत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रजिस्टर्ड वसीयत की मात्र फोटो प्रति पेश हुई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2011 (1) आरजे पेज 289 के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के बाद पिता द्वारा छोड़ी गई पैतृक सम्पति मतें पुत्रियों एवं मृतक पुत्र की विधवा का अन्य पुत्रों के समान बराबर हिस्सा हो। जब दूसरे वारिस जीवित हों तो परिवार का कोई एक व्यक्ति उस सम्पूर्ण पैतृक सम्पति को किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकता। रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है में सभी खातेदार काश्तकारों का हक हिस्सा है एवं सभी वारिसान एक आवश्यक पक्षकार हैं, जिनको वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं की। भूमि पैतृक है अथवा स्वअर्जित इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाये गये। केवल अनरजिस्टर्ड वसयीत की फोटो प्रति के आधार पर स्व0 हरिसिंह की भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट सं0 1 को दे दी गई है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.12.2019 को पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ